रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

श्रीमती अन्नपूर्णाबाई पति श्री महेश
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम तिल्लौरखुर्द तहसील व जिला इन्दौर —— प्रार्थी

विरूद्ध

1– श्री मनीष पिता सुरेशचन्द्र
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर
2– श्रीमती विजयाबाई पति श्रीराम वर्मा
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर
3– श्री सीताराम पिता यशवन्त
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर
4– श्री गौरीशंकर पिता छोगालाल
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर
5– श्री शिवशंकर पिता छोगालाल
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर
6– श्री शंकरलाल पिता मोहनलाल यादव
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर
7– चेतन पिता श्री सुरेशचन्द्र पाटीदार
आयु – 28 वर्ष, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम काचरोट तहसील व जिला इन्दौर
8– श्री दिनेश पिता श्री कन्हैयालाल
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – ग्राम तिल्लौरखुर्द तहसील व जिला इन्दौर
9– शाबिर पिता शब्बीर
आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
निवासी – गुलजार कॉलोनी, तहसील व जिला इन्दौर —— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इन्दौर द्वारा प्रकरण क्र. 0/अ–74/15–16 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करती है:–

अन्नपूर्णा

– 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 485–पीबीआर/2016 **जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2016	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश 20–1–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश के द्वारा निगरानीकर्ता को सिविल जेल भेजने के आदेश नहीं दिये गये हैं, अतः उक्त आदेश से निगरानीकर्ता प्रभावित नहीं होती है । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त आदेश का पालन भी बाद में हो चुका है तथा जिन लोगों के विरूद्ध जेल वारंट जारी हुआ था, उनकी रिहाई भी हो चुकी है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक हो जाने से समाप्त की जाती है । **अध्यक्ष**	